न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
188 / 2023	25.05.2023	27.07.2023

अनवान

1. खेमा पुत्र श्री मोहन जाति रेगर,
2. श्रीमती चुनी पुत्री श्री दयाराम जाति रेगर,
3. धर्मा पुत्र श्री दयाराम जाति रेगर,
4. नन्दराम पुत्र श्री दयाराम जाति रेगर,
5. श्रीमती रूकमा पत्नी श्री दयाराम जाति रेगर,
6. रामलाल पुत्र श्री दयाराम जाति रेगर,
7. सोन्या पुत्री श्री दयाराम जाति रेगर,

निवासीगण गुरलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. मदनलाल पुत्र श्री डालू जाति रेगर,
2. शम्भू लाल पुत्र श्री देवा जाति रेगर,
3. चम्पालाल पुत्र श्री गणेश जाति रेगर,
4. उदा पुत्र श्री प्रताप जाति रेगर,
5. देबी लाल पुत्र श्री बालू जाति रेगर,
6. श्रीमती मैणी पत्नी श्री प्रताप जाति रेगर,
7. भागीरथ पुत्र श्री गोमा जाति रेगर,
8. भगवती लाल पुत्री श्री हजारी जाति रेगर,
9. प्यारचंद पुत्र श्री डालू जाति रेगर,
10. नारायण लाल पुत्र श्री गोमा जाति रेगर,
11. रतन लाल पुत्र श्री भैरू जाति रेगर,
12. लालाराम पुत्र श्री भैरू जाति रेगर,
13. नारायण पुत्र श्री रामा जाति रेगर,
14. दिनेश पुत्र श्री हजारी जाति रेगर,
15. रामचन्द्र पुत्र श्री गोपी जाति रेगर,
16. बाबूलाल पुत्र श्री गोपी जाति रेगर,
17. चुना पुत्र श्री केशु जाति रेगर,

    निवासीगण गुरलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा

18. किशन लाल पुत्र श्री छोगा जाति बलाई निवासी कारोई, तहसील व जिला भीलवाड़ा
19. भैरू पुत्र श्री छोगा जाति बलाई निवासी कारोई, तहसील व जिला भीलवाड़ा
20. भंवर सिंह पुत्र श्री माधो सिंह राजपूत निवासी गुरलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील व जिला भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री मुरली वैष्णव – प्रार्थीगण

एक तरफा– अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम ::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम गुरलां, पटवार हल्का गुरलां, भू.अ.नि. क्षेत्र गुरलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के नये खाता संख्या 222 की अभिलिखित आराजी संख्या 1929 रकबा 0.1770 है0, आराजी सं. 1970 रकबा 0.0759 है0, आराजी सं. 1975 रकबा 0.1897 है0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है, जिसमें अप्रार्थीगण पड़ौसी पक्षकार हैं। प्रार्थीगण की उक्त कृषि आराजियात एवं विपक्षीगण की कृषि आराजियात के मध्य कोई पत्थरगढ़ी सीमा चिह्न नहीं होने से फसल की हंकाई–बुवाई करते समय प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 27.07.2023 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह–काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने की अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम गुरलां, पटवार हल्का गुरलां, भू.अ.नि. क्षेत्र गुरलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के नये खाता संख्या 222 की अभिलिखित आराजी संख्या 1929 रकबा 0.1770 है0, आराजी सं. 1970 रकबा 0.0759 है0, आराजी सं. 1975 रकबा 0.1897 है0 कृषि भूमिफरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/–रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा